भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3888

(दिनांक 11.12.2019 को उत्तर के लिए)

वैकल्पिक विषय के रूप में फार्म डी॰

3888. श्री राजकुमार चाहरः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फार्म॰डी॰ पाठ्यक्रम के डिग्रीधारकों को दी जाने वाली शैक्षणिक और रोजगार महत्ता के आलोक में, क्या मंत्रालय की फार्म॰डी॰ पाठ्यक्रम विषयवस्तु को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों की सूची में संशोधन करने की योजना है;

(ख) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि ऐसा पाठ्यक्रम भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध् में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि चिकित्सा पर वैकल्पिक विषयों का प्रथम पत्र फार्म॰डी॰ पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रम से लगभग समान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) : वर्तमान में, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को एक अलग परीक्षा अर्थात भारतीय वन सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है जिसके नियमों को संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इन्हें संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती नहीं किया जाता है।